संख्या-56/2017/2104 ई-2/तेरह-2017-69/2011

प्रेषक,

वेद प्रकाश राय,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 26 अक्टूबर,2017

विषय:-अल्कोहल वर्ष 2016-17 में माल्ट स्प्रिट का देश के बाहर निर्यात करने की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-50/नौ-अल्कोहल/देश के बाहर निर्यात(9)/ भा0नि0वि0म0, दिनांक 21 अगस्त,2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 21 अगस्त,2017 में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं की गई संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त मे0 वेब डिस्टीलरी एण्ड ब्रिवरीज लि0, अलीगढ़ को उनकी अधिष्ठापित क्षमता के अन्तर्गत अल्कोहल वर्ष 2016-17 में 9.0 बल्क लीटर माल्ट स्प्रिट 62 प्रतिशत वी/वी सैम्पुल के तौर पर देश के बाहर निर्यात करने की अनुमति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

तदनुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(वेद प्रकाश राय)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in